माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

के समक्ष R-736PB/17

(95)

निगरानी याचिका क्र.

प्रस्तुती दिनांक – 22/2/17

1– राजश्री पिता राजाराम खन्ना
उम्र – वयस्क,
निवासी – ग्राम बांदरकच्छ तहसील ठीकरी जिला बडवानी

2– आशीष उर्फ शिवनारायण पिता राजाराम
उम्र – वयस्क
निवासी – ग्राम बांदरकच्छ तहसील ठीकरी जिला बडवानी
तर्फे न्यायमित्र राजश्री पिता राजाराम खन्ना – प्रार्थीगण

विरूद्ध

1– मंगलसिंह पिता बावराजी
आयु – 48 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम बांदरकच्छ तहसील ठीकरी
जिला बडवानी (म.प्र.)

2– राजाराम पिता बावराजी
आयु – वयस्क, व्यवसाय – रिटायर्ड
निवासी – 117, तिलक नगर, इन्दौर – प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) राजपुर जिला बडवानी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/अ–6/अपील/13–14 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 04.11.2016

2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **निगरानी 736–पीबीआर/17** [राजश्री / संग्रामसिंह] **जिला बडवानी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27–3–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से वर्ष 2001 में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे और वर्ष 2001 में वसीयतनामा निष्पादित होना बता रहा है तथा अपील वर्ष 2013–14 से लंबित है और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है । ऐसी स्थिति में उन्हें पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है । उपरोक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं उचित होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	